भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3155

उत्तर देने की तारीख: 06 अगस्त, 2026

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां

†**3155. श्री बलराम नाइक पोरिका:**

क्या **जनजातीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्तीय वर्ष 2024-25 तथा 2025-26 के दौरान तेलंगाना में अनुसूचित जनजातियों के लिए केंद्र प्रायोजित/केंद्रीय क्षेत्र के कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु अधिकृत एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(ख) क्या तेलंगाना ट्राइबल कोऑपरेटिव फाइनेंस कॉरपोरेशन (ट्राइकोर) इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए एकमात्र कार्यान्वयन एजेंसी है;

(ग) यदि नहीं, तो अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के नाम तथा प्रत्येक एजेंसी द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रम क्या हैं; और

(घ) कार्यान्वयन एजेंसियों के चयन के लिए सरकार द्वारा क्या मानदंड अपनाए गए हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय, वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) की स्थापना के माध्यम से जनजातीय जनसंख्या में आजीविका के अवसरों एवं उद्यमशीलता को सुगम बनाने एवं बढ़ावा देने हेतु भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के माध्यम से प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) एवं प्रधानमंत्री जनजाति महा न्याय अभियान (पीएम-जनमन) योजना कार्यान्वित करता है। इन वीडीवीके से संबद्ध सदस्यों का मूल्य संवर्धन प्रशिक्षण एवं क्षमता-निर्माण/कौशल विकास इस योजना का अभिन्न अंग है।

तेलंगाना राज्य गिरिजन सहकारी निगम लिमिटेड, तेलंगाना राज्य में वीडीवीके की स्थापना हेतु राज्य कार्यान्वयन एजेंसी है। इस एजेंसी को राज्य नोडल विभाग अर्थात जनजातीय कल्याण विभाग, तेलंगाना सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है।

हालांकि, यह प्रस्तुत किया गया है कि मंत्रालय ने जनजातीय उद्यमियों को विभिन्न आजीविका सृजन गतिविधियों हेतु रियायती ऋण प्रदान करने के लिए 'राष्ट्रीय/राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम को इक्विटी (हिस्सेदारी) सहायता' योजना के अंतर्गत जनजातीय सहकारी वित्त निगम (ट्राइकोर) को इक्विटी (हिस्सेदारी) सहायता प्रदान की है।
